लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

दूरभाषः 0755–2583650, फैक्सः 2583651, ई–मेलः coord-dpi@mp.gov.in

क्रमांक/समन्वय/बी/2018/2510 भोपाल, दिनांक 18-12-2018

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषयः–वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 10.12..2018 का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 10.12..2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा0क्रमांक/समन्वय/बी/2018/2511 भोपाल, दिनांक 18-12-18

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
4. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) स्थानीय।
7. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक प्रशासन लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
8. निज सहायक, अपर संचालक लोक शिक्षण म.प्र.।
9. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

वीडियो कान्फ्रेसिंग दिनांक 10.12.2018 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 10.12.2018 को अपरान्ह 4:00 बजे मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के एन.आई.सी. कक्ष क्रमांक–66 में अपर परियोजना संचालक एवं संचालक (प्रशासन) लोक शिक्षण की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेसिंग का आयोजन किया गया। वीडियो कान्फ्रेसिंग में संचालनालय, लोक शिक्षण के अधिकारीगण व मैदानी स्तर के संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम बैठक प्रारंभ करते हुये श्री जी.आर.वाईकर,उप संचालक, लोक शिक्षण द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति ली जाकर उपस्थिति सुनिश्चित की गई। इसके पश्चात बिन्दुवार निम्नानुसार समीक्षा की गईः–

1. नामांकन एवं प्रोफाईल अपडेशन की समीक्षा :–

- श्री डी.एस.कुशवाहा, अपर संचालक द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से कक्षा 9 से 12 एवं कक्षा 1 से 8 तक छात्रों के नामांकन अपडेशन की जिलेवार समीक्षा की गई। कक्षा 9 से 12 तक कार्य संतोषजनक है किंतु कक्षा 1 से 8 तक जिला सतना, उमरिया, आगर मालवा, रीवा, होशंगाबाद, विदिशा एवं शाजापुर आदि जिलों में नामांकन अपडेशन कार्य संतोषजनक नहीं है। अशासकीय विद्यालयों का कार्य संतोष जनक है किंतु शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों के नामांकन कार्य संतोषजनक नहीं है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से नामांकन कार्य तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिये। संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना को प्रोफाईल अपडेशन का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के निर्देश दिए गए।
- जिला मंदसौर, शाजापुर, ग्वालियर, देवास, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी आदि जिलों में प्रोफाईल अपडेशन कार्य की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की गई उक्त कार्य तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

2. अध्यापकों के नवीन कैडर में नियुक्ति की समीक्षा :–

- अध्यापक संवर्ग की नवीन कैडर में नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठ अध्यापकों के नियुक्ति आदेश संचालनालय स्तर से जारी होना है अतः जिला उज्जैन, भोपाल, राजगढ़, सागर, रीवा सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, शहडोल, उमरिया जिला शिक्षा अधिकारियों से नस्ती तैयार कर दिनांक 12 से 15 दिसंबर 2018 तक जानकारी सहित प्रभारी अधिकारियों को संचालनालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। साथ ही गुना, दतिया, श्योपुर, देवास, रतलाम जिलों

से भी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है कृपया जानकारी सहित प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिती सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

- इसी प्रकार संभाग एवं जिलास्तर पर आदेश जनरेट होना है कृपया सभी संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी इस प्रक्रिया की समीक्षा करें एवं लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर संचालनालय में पदस्थ श्री सुमनकांत जैन से सम्पर्क कर निराकरण करायें। सभी जिलों में प्रोग्रामर से सम्पर्क कर तकनीकी समस्याओं का निराकरण करायें। मॉडल एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में पदस्थ अध्यापकों के पदस्थापना आदेश काउंसलिंग उपरांत भी जारी नहीं हुए हैं कृपया 16.12.2018 तक सभी को कार्यमुक्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हरदा जिले में आ रही समस्या के संबंध में पृथक से संचालनालय में सम्पर्क किए जाने के निर्देश दिए गए।

3. न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा :–

- श्री ए.के.त्रिपाठी, सहायक संचालक द्वारा विधि प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराया कि प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान पूर्वक अवलोकन करने एवं नियमानुसार निराकरण करने पर न्यायालय में जाने की स्थिति निर्मित नहीं होगी। कृपया सभी अधिकारी प्राप्त अभ्यावेदनों को तत्काल निराकृत करायें। आप सभी प्राथमिक स्तर पर अभ्यावेदनों का निराकरण नहीं कर रहे हैं जिससे न्यायालयीन प्रकरण उद्भूत हो रहे हैं। संचालनालय स्तर पर निराकरण की स्थिति में आप अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिससे समय–सीमा में निराकरण किया जा सके और कोर्ट जाने की स्थिति निर्मित न हो पाये। माननीय उच्च न्यायालय की साईट पर अवमानना प्रकरणों की सम्पूर्ण जानकारी पी.डी.एफ.फाईल के रूप में प्रदर्शित होती है। उक्त जानकारी तत्काल देखें और प्रकरण को निराकृत करायें। अनुदान प्रकरणों में उपादान संबंधी मामलों को लिस्टिंग कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिससे मान.उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत किए जा सकें। आप सभी संवेदनशीलता से पिटीशन के प्रस्ताव तत्काल भेजें जिससे आगामी कार्यवाही कर निराकरण किया जा सके। न्यायालयीन प्रकरणों हेतु राशि आवंटित की गई है समय–सीमा में भुगतान की कार्यवाही करें।

4. निशुल्क साईकिल वितरण की समीक्षा :–

- संचालक प्रशासन ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि सायकिल वितरण योजना से संबंधित समस्त जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है सायकिल वितरण कार्य शीघ्र प्रारंभ करें। संयुक्त संचालक सायकिल अधिक/कम होने पर समायोजित कर पात्र छात्र/छात्राओं को वितरण प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें।

5. निर्माण कार्यो की समीक्षाः–

- भवन / छात्रावासों के स्वीकृत निर्माण कार्यों शीघ्र पूर्ण करायें और जहां भूमि चिन्हांकित नहीं हुई है जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर भूमि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यथासंभव विद्यालय के नजदीक ही भूमि उपलब्ध करायें किसी भी स्थिति में गांव न बदलें। भूमि पर अतिक्रमण अथवा विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। यदि सुयोग्य स्थान पर शासकीय भूमि है और अतिक्रमण / विवाद है तो स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उसका निराकरण कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- सभी जिला शिक्षा अधिकारी चिन्हित भूमि का प्रस्ताव पी.आई.यू / निर्माण ऐजेन्सी के संयुक्त हस्ताक्षर से उपलब्ध करायें जिससे मॉनिटरिंग हो सके। भूमि का सीमांकन कर भूमि का भौतिक आधिपत्य पी.आई.यू.को उपलब्ध करायें और जानकारी उपलब्ध करायें। जिला सिंगरौली, उमरिया, उज्जैन, होशंगाबाद, छतरपुर, टीकमगढ़, जबलपुर, पन्ना आदि जिलों में छात्रावासों हेतु भूमि की उपलब्धता की जानकारी नहीं है कृपया भूमि चिन्हांकित कर जानकारी अविलम्ब उपलब्ध करायें।
- भवन निर्माण, व़िद्युतीकरण आदि कार्यों के संबंध में पी.आई.यू. के साथ बैठकों में समीक्षा कर संयुक्त निर्णय हुआ कि निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जायेंगे। सभी उक्त कार्यों की समीक्षा करें।

6. सी.एम.हेल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा :–

- सी.एम.हेल्पलाईन के कुल 11163 प्रकरण लंबित हैं। कृपया सभी अधिकारी अपने लेवल पर समीक्षा कर रिपोर्ट प्राप्त करें और निराकृत प्रकरणों को फोर्सक्लोजर लगायें। सभी संयुक्त संचालक विशेष ध्यान देकर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें और संचालनालय स्तर से निराकरण होने की स्थिति में प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा अवगत कराया कि लेपटॉप वितरण योजना के 15–16 प्रकरणों में भुगतान नहीं हुआ है इस संबंध में संचालक द्वारा त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

7. विभागीय जांच के प्रकरणों की समीक्षा :–

- संचालक प्रशासन द्वारा समस्त संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जांचकर्त्ता अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय जांच से संबंधित प्रकरणों में कतिपय स्तर पर काफी विलंब किया जाता है जो नियमानुकूल नहीं है। जांच में एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर जांचकर्त्ता एवं प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही के नियम है। प्रत्येक अपने स्तर पर लंबित विभागीय जांच के प्रकरणों की समीक्षा करें और नियमानुसार कार्यवाही कर

जांच पूर्ण करायें। गैरजटिल मामलों में भी जांच लंबित रखी गई है यह उचित नहीं है। आयुक्त/संचालक कार्यालय द्वारा वांछित अभिमत तथा आरोपी को प्रेषित सूचनापत्रों की तामीली भी बगैर विलंब के उपलब्ध करा दी जाये ताकि लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण हो सके।

- अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में जिलों में लंबित चालानों को 2 दिवस में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के संबंध में आयुक्त की तरफ से पत्र जारी किया है कृपया अनापत्ति जारी कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें।

8. दक्षता उन्नयन कार्यक्रम की समीक्षा :–

- निर्देशित किया गया कि हम छू लेंगे आसमां की कार्यवाही हेतु स्कूलवार काउंसलर की ड्यूटी लगाये और जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर से 2–2 काउंसलर नियुक्त करें। हमारे शिक्षक सप्ताह में 2 दिवस से अधिक न जायें। एप्टयीटूट टेस्ट कराने के निर्देश जारी किए है कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रतिभा पर्व के संबंध में स्कूलों की विजिट की गई होगी आप सभी 30 दिसंबर तक कार्यवाही करायें और गूगल ड्राईव पर निर्धारित फार्मेट में जानकारी अपलोड करायें जिससे छात्रों की
- दक्षता का मूल्यांकन हो सके। आप सभी को काउंसलिंग केन्द्र की सूची उपलब्ध कराई गई है उस हिसाब से तैयारी रखें और टाईम टेबिल निर्धारित करें। आप सभी एक सप्ताह में महत्वूपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करायें। रेमेडियल टीचिंग कई जिलों में ट्रेनिंग नहीं कर पाये हैं अब शुरू करें। समय कम है स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो और चुनाव कार्यों में लगे शिक्षकों को कलेक्टर के माध्यम से तत्काल कार्यमुक्त करायें और शिक्षण व्यवस्था सुचारू रखें।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश